



दिनांक 30.01.2021

प्रेस विज्ञप्ति-30/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना बिनौली

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,
 - 9 हजार 500 रुपये नगद,
 - 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस,
 - 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 30.01.2021 को थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गलहैता रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी देवेन्द्र कुमार घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त राशिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 09 हजार 500 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों का उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बागपत, मेरठ, शामली के विभिन्न थानों में चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिनौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-332/2020 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0-356/2020 धारा 457/380 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

राशिद निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी :-

1-09 हजार 500 रुपये नगद,

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस,

3-01 मोटर साइकिल

जनपद रामपुर/थाना मिलक

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,

• 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद,

दिनांक: 29.01.2021 को थाना मिलक व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम महेन्दीनगर रेलवे फाटक के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी जावेद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंज जनपद रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-361/2020 धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा के उपरान्त वर्ष 2012 में पैरोल पर आने के उपरान्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

जावेद निवासी लोहापट्टी भोलानाथ थाना मिलक जनपद रामपुर।

बरामदगी :-

01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद अयोध्या / थाना कोतवाली अयोध्या

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,

दिनांक: 30.01.2021 को थाना कोतवाली अयोध्या पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी पंकज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली जनपद अयोध्या पर पंजीकृत मु0अ0सं0-836 / 2020 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अयोध्या पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

पंकज निवासी मोहल्ला रानीबाजार थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या।

जनपद देवरिया / थाना कोतवाली

- 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,
- लूट / चोरी की 06 मोटर साइकिल,
 - 01 बुलेरो वाहन,
 - 17 हजार 500 रुपये नगद,
- 02 अवैध तमंचे मय 02 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 29.01.2021 को थाना कोतवाली, थाना रामपुर कारखाना व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कसया बाईपास पर मोटर साइकिल सवार 02 अपराधियों 1-जीवन उर्फ जीतू 2-रजनीश उर्फ मास्टर उर्फ सनी उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर उनके 03 अन्य साथियों को कसया रोड ट्यूबेल के पास खण्डहर क्वाटर से 3- भोला

उर्फ अनुज 4-प्रकाश 5-अभिमन्यु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी 06 मोटर साइकिले, 01 बुलेरो वाहन, 17 हजार 500 रुपये नगद, 02 अवैध तमंचे, 02 जीवित कारतूस, वाहनो के लॉक तोड़ने के उकरण आदि बरामद हुये ।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

- 1-जीवन उर्फ जीतू निवासी सल्लाहपुर थाना आन्दर जनपद सिवान बिहार
- 2-रजनीश उर्फ मास्टर उर्फ सनी उर्फ हिमांशु निवासी खलवा थाना नौतन जनपद सिवान, बिहार।
- 3- भोला उर्फ अनुज निवासी खलवा थाना नौतन जनपद सिवान, बिहार।
- 4-प्रकाश निवासी दरौली थाना दरौली जनपद सिवान, बिहार।
- 5-अभिमन्यु निवासी सेवतापुर थाना मैरवाँ जनपद सिवान, बिहार।

बरामदगी:-

- 1-लूट/चोरी 06 मोटर साइकिले,
- 2-01 बुलेरो वाहन,
- 3-17 हजार 500 रुपये नगद,
- 4-02 अवैध तमंचे, 02 जीवित कारतूस,
- 5-वाहनो के लॉक तोड़ने के उकरण आदि।

कमिश्नरेंट लखनऊ /थाना पी0जी0आई0

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार,
- लूट की घटना का अनावरण,
- 25 हजार रुपये नगद,
- 01 चेकबुक,

- 01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 29.01.2021 की रात्रि थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरौली रेलवे क्रासिंग के पास से 01 अभियुक्त आनन्द को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 हजार रुपये नगद, 01 चेकबुक, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक: 27.01.2021 को थाना पीजीआई क्षेत्र में लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0-42/2021 धारा 395/412 भादवि का अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

आनन्द निवासी हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई, लखनऊ।

बरामदगी:-

1-25 हजार रुपये नगद,

2-01 चेकबुक,

3- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस

जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली

- 04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,
- लगभग 07 करोड़ 62 लाख रुपये अन्तराष्ट्रीय कीमत के 01 कुन्तल 27.21 किलोग्राम अवैध चरस,
- 01 पिकअप वाहन बरामद

दिनांक 30.01.2021 को थाना अहिरौली व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच-28 सुबोधिया खुर्द के पास 04 मादक पदार्थ तस्करों 1-कमल 2-रामबिलास 3-प्रमोद कुमार 4-हरदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से 01 पिकअप वाहन व 06 बोरियों में लगभग 07 करोड़ 62 लाख रुपये अन्तराष्ट्रीय कीमत के 01 कुन्तल 27.21 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

- 1—कमल निवासी तिनडोभिया थाना पोखरिया जनपद परसा, नेपाल।
- 2—रामबिलास निवासी पिपराकला थाना नरही जनपद बलिया।
- 3—प्रमोद कुमार निवासी पिपराकला थाना नरही जनपद बलिया।
- 4—हरदेव निवासी खोड़ीपाकड़ थाना फेफना जनपद बलिया।

बरामदगी:-

- 1—लगभग 07 करोड़ 62 लाख रुपये अन्तराष्ट्रीय कीमत के 01 कुन्तल 27.21 किलोग्राम अवैध चरस
- 2—01 पिकअप वाहन बरामद

एसटीएफ: अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 225 कि०ग्रा० अवैध मादक पदार्थ (गांजा) बरामद।

दिनांक: 30.01.2021 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (225 कि०ग्रा० गांजा अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- सनी कुमार यादव उर्फ सोनू यादव पुत्र त्रिभुवन यादव नि० टेड़वा, थाना चिरैयाकोट, मऊ।
- 2- रमेश कुमार पुत्र दयाराम नि० चौधरी पट्टी थाना भोजीपुरा, बरेली।
- 3- मो० हुसैन पुत्र मो० इशाद नि० रिठौरा थाना हाफिज गंज, बरेली।

बरामदगी:-

- 1- 225 कि०ग्रा० गांजा (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रूपये)
- 2- 01 आयशर ट्रक (UP 25 DT 5867)
- 3- 04 अदद मोबाईल फोन।
- 4- 02 अदद वोटर आई कार्ड।
- 5- 04 अदद एटीएम कार्ड।
- 6- 02 अदद पैन कार्ड।
- 7- 03 अदद आधार कार्ड।
- 8- 01 अदद डीएल।
- 9- 01 अदद प्लेन का टिकट (दि० 27.01.2021 का वाराणसी से गुवाहटी)
- 10- रूपये 3200/- नगद।

विगत काफी दिनों से एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत के राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। जिसके सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस०टी०एफ० की एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर अन्य राज्यों से मादक पदार्थों की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाकर बेचा जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य आरक्षी अंजनी यादव द्वारा विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त की गयी, कि सनी कुमार यादव उर्फ सोनू यादव नामक तस्कर असम से गांजा तस्करों से सम्पर्क स्थापित कर गांजा की खेप मंगवा रहा है। जिस हेतु वह दिनांक 27.01.2021 को वाराणसी एयरपोर्ट से गुवाहाटी होते हुये रंगिया असम गया हुआ है, वह जल्द ही वहाँ से गांजा लेकर लौटेगा। इस सूचना पर विष्वास कर एन0सी0बी0, लखनऊ के अधिकारियों से सूचना साझा कर एसटीएफ उ0प्र0, लखनऊ से उ0नि0 श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एक टीम जनपद गोरखपुर रवाना की गयी। एसटीएफ टीम गोरखपुर पहुंचकर एन0सी0बी0 लखनऊ टीम के साथ जमीनी स्तर पर अभिसूचना संकलन किया गया जिस पर ज्ञात हुआ कि सनी कुमार यादव उर्फ सोनू आयषर ट्रक नं0 यू0पी0 25 डी0टी0 5867 में गांजा लेकर रंगिया आसाम से गोरखपुर आ रहा है, जो थाना क्षेत्र बेलीपार होते हुए कही जायेगा। इस पर एसटीएफ व एन0सी0बी0 टीम संयुक्त रूप से बुद्धा होटल के पास से उक्त ट्रक को कब्जे में लेकर देखा गया तो तेल की टंकी के पास बनी कैविटी में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था। जिस पर उक्त तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह भूटान के पहाड़ी इलाको में गांजा की खेती होती है जहां से करीम निवासी रंगिया आसाम द्वारा गांजा लाया जाता है, जो हम लोगो को लगभग रू0 6000/- प्रति किग्रा0 के हिसाब से बेचता है, हम लोग यह गांजा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रू0 11,000/- प्रति किग्रा0 के हिसाब से बेचते हैं। जिससे भारी मुनाफा होता है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध एन0सी0बी0 लखनऊ द्वारा थाना बेलीपार, गोरखपुर पर केस नं0 05/2021 धारा 8/20/25/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।